न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 225/2011

उनवान

1 चन्दराम (फौत)
1/1. अमरी पत्नी चन्दराम
1/2. जगदीश पुत्र चन्दराम
1/3. शोकीन पुत्र चन्दराम
1/4. सीता पुत्री चन्दराम
1/5. दिनेश पुत्र हीरालाल
1/6. मोना पुत्री हीरालाल
2. गोपाल,
3. रामस्वरूप, (फौत)
3/1. गीता पत्नी रामस्वरूप
3/2. हरनिवास पुत्र रामस्वरूप
3/3. गणेश पुत्र रामस्वरूप
3/4. माया पुत्री रामस्वरूप
3/5. सुमित्रा पुत्री रामस्वरूप
4. रामलाल,
5. रणजीत पि. हरजी समस्त जाति जाट नि. ग्राम नान्दला, नसीराबाद

——वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम्

1. दुर्गाप्रसाद पुत्र सत्यनारायण,
2. पार्वती पत्नी ताराचन्द,
3. ओम प्रकाश,
4. संजय,
5. अजय,
6. राजा पि0 रामगोपाल,
7. गणपतलाल पुत्र सुगना जाति सुनार नि. ग्राम नान्दला, नसीराबाद
8. राज. सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद

———प्रतिवादीगण :– 1 से 7 अनुपस्थित
8 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :– 11.1.22

वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम नान्दला तहसील नसीराबाद में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:28:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
2067	1—5—0	2201	0.20
2068	1—14—0	2200	0.28
2070	0—9—10	2214	0.08
2077	1—1—10	2207	0.18
2081	0—14—10	2203	0.12
2085	0—6—10	2191	0.01
		2196	0.04
2089	2—12—0	2195	0.42
2095	0—12—10	2232	0.10
2491	1—12—10	2180	0.26

उक्त आराजी प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 22.5.1993 को विक्रय पत्र वादीगण के पक्ष में निष्पादित करवा दिया था। तथा नामान्तकरण संख्या 433 दिनांक 28.6.93 से वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी थी। उक्त आराजी के अतिरिक्त वादीगण ने अन्य खसरा नम्बर भी क्रय किये थे। जो कि नामान्तकरण संख्या 433 दिनांक 28.6.93 द्वारा वादीगण के नाम दर्ज किये गये तथा हाल राजस्व अभिलेख में भी वादीगण के नाम दर्ज है। किन्तु आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 2201 रकबा 0.20, 2200 रकबा 0.28, 2214 रकबा 0.08, 2207 रकबा 0.18, 2203 रकबा 0.12, 2191 रकबा 0.01, 2196 रकबा 0.04, 2195 रकबा 0.42, 2232 रकबा 0.10, 2180 रकबा 0.26 की आराजी को बंदोबस्त विभाग ने वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी। अतः आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज दुरूस्त कर आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में खण्डन नही होने से तनकियात कायम नही की गयी। प्रकरण में विचारण के दौरान वादी संख्या 1 व 3 की मृत्यु होने से उनके वारिस रेकार्ड में लिये गये।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख पेश किये तथा रणजीत, रामलाल व गोपाल के बयान दर्ज करवाये

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली एवं प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का अंद्योपांत अवलोकन किया गया। उभय वादीगण अभिभाषक व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। आराजी मुतनाजा व अन्य खसरा नम्बर वादीगण ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.5.93 को प्रतिवादीगण से क्रय की थी। उक्त विक्रय पत्र की पालना में नामान्तकरण संख्या 433 द्वारा आराजी मुतनाजा व अन्य आराजी वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में नोट अंकित किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा वादीगण की विधिक क्रयशुदा है जिस पर वादीगण का नाम दर्ज हो गया था। बंदोबस्त विभाग ने हाल राजस्व अभिलेख तैयार करते समय उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज बिना किसी कारण परिवर्तित करने का कोई अधिकर नही था। विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इं[illegible] है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र तथा नामान्तकरण को सक्षम न्यायालय में [illegible] नही दी है। धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत [illegible] खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। प्रतिवादीगण वाद के [illegible] हेतु प्रकरण में उपस्थित नही हुये है। जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र व नामान्तकरण द्वारा आराजी मुतनाजा उनकी क्रयशुदा सिद्व होती है। आराजी मुतनाजा निर्विवाद रूप से वादीगण की क्रय[illegible] है। पूर्व राजस्व अभिलेख में उनके नाम जरियें नामान्तकरण दर्ज हुयी है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण

उप[illegible] अधिकारी
[illegible] (अ[illegible]मेर)

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:28:17 IST
Reason: SelfAttested

सिद्ध होता है। वादीगण द्वारा वंर्किंग खसरा नम्बर 2491 रकबा 1–12–10 हाल खसरा नम्बर 2180 रकबा 0.26 भी क्रय किया है। किन्तु उक्त खसरा नम्बर पर वादीगण का 1/2 हिस्सा ही दर्ज है। अतः वादीगण हसाल खसरा नम्बर 2180 रकबा 0.26 पर वादीगण के हिस्से तक की आराजी पर ही खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है। शेष आराजी मुतनाजा पर वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद **"स्वीकार"** किया जा कर ग्राम नान्दला स्थित आराजीयात हाल खसरा संख्या 2201 रकबा 0.20, 2200 रकबा 0.28, 2214 रकबा 0.08, 2207 रकबा 0.18, 2203 रकबा 0.12, 2191 रकबा 0.01, 2196 रकबा 0.04, 2195 रकबा 0.42, 2232 रकबा 0.10 व 2180 रकबा 0.26 पर वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के स्थान पर खातेदार किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:28:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

चन्दराम बनाम दुर्गाप्रसाद

दावा बाबत :– 88,188, राज. का. अधि0 1955, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 225/2011
पेश करने की दिनांक – 14.12.11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक राजेश गोमा मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद "**स्वीकार**" किया जा कर ग्राम नान्दला स्थित आराजीयात हाल खसरा संख्या 2201 रकबा 0.20, 2200 रकबा 0.28, 2214 रकबा 0.08, 2207 रकबा 0.18, 2203 रकबा 0.12, 2191 रकबा 0.01, 2196 रकबा 0.04, 2195 रकबा 0.42, 2232 रकबा 0.10 व 2180 रकबा 0.26 पर वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के स्थान पर खातेदार किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11 माह 01 सन् **2022** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:28:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद